हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

सख्या ई०एक्स०एन०–एफ (10)8/2021–वॉल्यूम–II शिमला–02, 20 अगस्त 2026

आदेश

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई०एक्स०एन०– एफ (10)8/2021–वॉल्यूम–I तारीख 22–07–2026 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 28 जुलाई, 2026 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) इन आदेशों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ (संशोधन) आदेश, 2026 है।

(2) यह आदेश राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे और इन का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

2. खण्ड 2 का संशोधनः– हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त आदेश'' कहा गया है) के खण्ड 2 (1) (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः–

''(छ) "नोडल अधिकारी" से, कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित संबंद्ध ब्लॉक (खण्ड) का कोई अधिकारी जो कृषि विकास अधिकारी (ए.डी.ओ.) की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिप्रेत है।"

3. खण्ड 3 का संशोधन –उक्त आदेश के खंड 3 में,–

(क) उप–खंड (1) मद संख्या (i), के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्–

"(i) चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए भांग अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिए भांग की खेती हेतु, खेती के लिए अनुज्ञप्तिधारी संस्था, जिसमे खेती के लिए अनुज्ञप्त विनिर्माण इकाई तथा अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्त संस्था भी सम्मिलित है, द्वारा बीज किसी प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किए जाएंगे। ऐसा प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता बीज स्थानीय रूप से अथवा राज्य के भीतर या अन्य राज्यों से प्राप्त कर सकेगा अथवा भारत के बाहर से बीज आयात कर सकेगा, बशर्ते

कि अन्य राज्यों से आयातित बीजों, राज्य के भीतर प्राप्त बीजों (जिनमें स्थानीय/देशज बीज भी सम्मिलित है) अथवा भारत के बाहर से आयातित बीजों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए।

प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता, भांग की खेती के लिए अनुज्ञप्त संस्था (प्ररूप सीसी–2, सीएच–2. सीसी–एमसी 2. सीएच एमसी–2, सीसी आर तथा सीएच आर में अनुज्ञप्ति धारक) को बीज की आपूर्ति के समय क्रेता को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

(ii) यदि बीज स्थानीय (देशज) रूप से अथवा राज्य के भीतर या अन्य राज्यों से प्राप्त किए गए हो, तो प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता बीजों की खरीद से संबंधित दस्तावेज, जिसमें एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोगशाला द्वारा जारी विश्लेषण प्रमाण–पत्र भी सम्मिलित होगा, उपलब्ध कराएगा। उक्त प्रमाण–पत्र में कैनाबिनॉइड की शक्ति एवं सांद्रता, बीज का प्रकार (भांग), मादाकृत बीज है अथवा अन्यथा, कैनाविनॉइड प्रोफाइल की परास तथा टीएचसी और सीबीडी के परिवर्ती स्तरों सहित अन्य संबंधित विवरण विनिर्दिष्ट होंगे।

(अ) यदि बीज भारत के बाहर से आयात किए गए हों, तो प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता बीजों के आयात से संबंधित दस्तावेज, जिसमें प्राधिकृत प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोगशाला) द्वारा जारी बीज विश्लेषण रिपोर्ट प्रमाण–पत्र भी सम्मिलित होगा, उपलब्ध कराएगा। उक्त रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र में कैनाबिनॉइड की शक्ति एवं साद्रता, बीज का प्रकार (भांग), मादाकृत बीज है अथवा अन्यथा, कैनाबिनॉइड प्रोफाइल की परास तथा टीएचसी और सीबीडी के परिवर्ती स्तरों सहित अन्य संबंधित विवरण विनिर्दिष्ट होंगे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक देश के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन द्वारा सत्यापित पादप स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विहित कोई अन्य प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

(आ) खेती के लिए अनुज्ञप्तिधारी उक्त बीजों की खेती प्रारंभ किए जाने से कम–से–कम 21 दिन पूर्व कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को संबंधित प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों की खरीद से संबंधित दस्तावेज, जिनमें उपर्युक्त प्रमाण–पत्र / बीज विश्लेषण रिपोर्ट, यथाप्रयोज्य, भी सम्मिलित हैं, प्रस्तुत करेगा।"

(iii) औद्योगिक प्रयोजन के लिए देशज बीज अथवा अन्य राज्य से आयातित बीज अथवा भारत के बाहर से आयातित बीज, फेमिनाइज्ड अथवा अन्यथा, अथवा दोनों के संयोजन का उपयोग किया जा सकेगा।

(ख) उप–खंड (1) के मद (ख) के द्वितीय परंतुक में, ''प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय रूप से अथवा राज्य के भीतर अथवा देश के भीतर आयातित आयातित बीजो

बीजो को बीज के प्रकार, अर्थात् औद्योगिक अथवा चिकित्सीय अथवा मादाकृत अथवा अन्यथा आदि, के आधार पर स्पष्ट रूप से वर्गीकृत, पृथक तथा अलग–अलग भंडारित किया जाए।'' शब्दों के स्थान पर, ''प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय रूप से अथवा राज्य के भीतर अथवा देश के भीतर अथवा भारत के बाहर से आयातित बीजों को बीज के प्रकार अर्थात् औद्योगिक अथवा चिकित्सीय अथवा फेमिनाइज्ड अथवा अन्यथा आदि, के आधार पर स्पष्ट रूप से वर्गीकृत, पृथक तथा अलग अलग भंडारित किया जाए।'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाऐंगे;

(ग) उप खंड (2) के मद (क) में,–

(क) ''औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस की खेती हेतु क्षेत्र/क्षेत्रों को कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर, 'औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनाबिस की खेती हेतु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में होंगे'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''अधिसूचित क्षेत्र में इस आदेश के अधीन खेती हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आशयित कोई भी व्यक्ति अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय कर प्ररूप सीएच–1 में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए संबंधित जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुतियों सहित उक्त आवेदन को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुतियों उसे संबंधित समहर्त्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''हिमाचल प्रदेश राज्य में इस आदेश के अधीन खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस पादप की खेती हेतु प्ररूप सीएच–1 में कृषि विभाग के संबंधित नोडल अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो आवेदन को अपनी सिफारिश सहित जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा और जिला आबकारी अधिकारी उसे अपनी सिफारिश सहित संबंधित कलेक्टर (आबकारी) को अग्रेषित करेगा।'', शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ग) मद (क)(i) में, ''तीन एकड'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच बीघा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) मद (क)(vi) का लोप किया जाएगा।

4. खंड 4 का संशोधन.– उक्त आदेश के खंड 4 में,–

(क) उप–खंड (1) के मद (ञ) में, ''राज्य में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम पूंजी निवेश 100 करोड रुपये होगा'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम पूंजी निवेश 5 करोड रुपये होगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप–खंड (2) में,–

(i) "कैनबिस के पौधों की औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खेती के क्षेत्र कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। बेहतर अनुश्रवन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्र सघन तथा भौगोलिक रूप से सतत होंगे। प्रपत्र सीएच–एम में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई भी आवेदक, जो इन आदेशों के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, संबंधित जिला नोडल अधिकारी को प्रपत्र सीएच–एमसी–1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुति सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुति सहित आवेदन को संबंधित समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा" शब्दों के स्थान पर, 'औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस की खेती का क्षेत्र, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्र होगा। बेहतर निगरानी के लिए यह क्षेत्र एक सुसंगठित और भौगोलिक रूप से सन्निहित क्षेत्र तक सीमित रहेगा। प्ररूप सीएच–एम में अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई आवेदक, जो इस आदेश के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में औद्योगिक प्रयोजन के लिए कैनबिस की खेती हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, प्ररूप सीएच–एमसी–1 संबंधित नोडल अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो आवेदन को अपनी सिफारिश सहित जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा और जिला आबकारी अधिकारी आवेदन को अपनी सिफारिश सहित संबंधित समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा।'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगें।

(ii) मद (क) में, ''तीन एकड'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच बीघा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5 खंड 11 का संशोधन– उक्त आदेश के खंड 11 मे,

(क) उप–खंड (1) में, '' कोई भी व्यक्ति, संस्था शासकीय विभाग, निजी प्रतिष्ठान अथवा प्ररूप सीएच–एम में कैनबिस के पौधों के प्रसंस्करण अथवा औद्योगिक कैनबिस उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु प्ररूप सीएच–6 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए संबंधित समाहर्ता (आबकारी) के माध्यम से राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।" शब्दों के स्थान पर '' कोई व्यक्ति, संस्था,

सरकारी विभाग, निजी प्रतिष्ठान अथवा प्ररूप सीएच–एम में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस के प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी, अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए प्ररूप सीएच–6 में अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो आवेदन को अपनी सिफारिश सहित राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को अग्रेषित करेगा।'' शब्द को प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप–खंड (1) के मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.–

''(घ) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस की खेती का क्षेत्र, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्र होगा। बेहतर निगरानी के लिए यह क्षेत्र एक सुसंगठित और भौगोलिक रूप से सन्निहित क्षेत्र तक सीमित रहेगा। कैनबिस की खेती केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में ही सख्ती से की जाएगी।''

6 अनुसूची–I का संशोधन.–

(क) क्रम संख्या 1, स्तंभ संख्या 3 में, अंक "2000'' के स्थान पर अंक ''500'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 3, स्तंभ संख्या 3, पंक्ति 1 व 2 में, अंक 10,00,000 के स्थान पर अंक ''5,00,000'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7 प्ररूपों का संशोधन.– इन आदेशों के साथ संलग्न प्ररूप सीएच–1, सीएच–3, सीएच–एमसी–1 और सीएच–एमसी–3 में, ''संबंधित जिले का कृषि विभाग का जिला नोडल अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''कृषि विभाग का नोडल अधिकारी'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

"अनुसूची–I"

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति के प्रकार	फीस
1.	सीएच –2 (औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) (चरस एवं गांजा को उपवर्जित करके) की खेती हेतु कृषक अनुज्ञप्ति।	₹500 प्रति बीघा
	औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कृषक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण शुल्क	₹500 प्रति बीघा
2.	सीएच–4 कैनबिस (भांग) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भाण्डागारण अनुज्ञप्ति।	₹10,000 प्रति बीघा
3.	सीएच–एम (विनिर्माण अनुज्ञप्ति) औद्योगिक प्रयजनों हेतु प्रंसंस्करण/विनिर्माण वार्षिक लाइसेंस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके)	₹5,00,000/–
	नवीनीकरण	₹5,00,000/–
	सीएच–एमसी–2 (विनिर्माण कृषक अनुज्ञप्ति) औद्योगिक प्रयजनों हेतु कैनबिस की खेती (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) विनिर्माण वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹10,00,000/– प्रति बीघा
	नवीनकरण	₹10,00,000/– प्रति बीघा
	सीसी–(एमएचसी)–एम–4 (कैनबिस (भांग) के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके)	₹10,00,0/–
4.	सीएच–आर (औद्योगिक प्रयोजनों कैनबिस (भांग) पर अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके)	₹1,00,000/–
5.	सीएच–टी (कटाई की गई औद्योगिक भांग के परिवहन हेतु परमिट)	₹2,000/–

प्ररूप सीएच–1

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला ....

सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए

श्रीमान / श्रीमती,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम..
2. पिता का नाम...
3. पता...
4. जिस भूमि पर औद्योगिक कैनबिस की खेती की जानी है उसका विवरण..
5. भाण्डागार के ब्यौरे
6. खसरा एव खतौनी संख्या...
7. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र..
8. ....रूपये का अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख) और हिम एवं संख्या खेतीहर के अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया)...
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अनियोजित किया गया हो नही उसके विरूद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज / उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान..

हस्ताक्षर...

नाम..

पता..

तारीख..

मोबाइल नम्बर..

प्ररूप सीएच–3

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) के भाण्डागारण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला नाम................................

सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए

श्रीमान / श्रीमती,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक हैम्प के गोदाम के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम..
2. पिता का नाम...
3. पता...
4. गोदाम के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है..
5. खसरा एव खतौनी संख्या..
6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र..
7. ....रूपये का अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख) और हिम एवं संख्या
8. खेतीहर के अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया)....................... ....

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अनियोजित किया गया हो नही उसके विरूद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज / उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान...

हस्ताक्षर...

नाम..

.

पता..

तारीख..

मोबाइल नम्बर...

प्ररूप संख्या सीएच–एमसी–1

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन।

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला...........

सत्यापित फोटाग्राफ चिपकाए

महोदय / महोदया,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने करें।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम..
3. पता..
4. जिस भूमि पर कैनबिस (भांग) की खेती की जानी है, उसका विवरण......................
5. खसरा एवं खतौनी संख्या ....
6. भूमि का क्षेत्रफल एव जी.पी.एस. निर्देशांक...
7. भण्डारगृह का विवरण...
8. अनुज्ञप्ति फीस का विवरण रूपए.................................(टी0 आर0 कोष संख्या, तारीख और एच आई एम जी आर एन संख्या)..
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उस ने तो किसी अजमानतीय अपराध के अधीन (मुकदमा) (अभियोजित) किया गया है न ही उसके विरूद्ध किसी विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है और इस प्रभाव तक का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबधों और तदधीन बनाए गए के अनुसार औद्योगिक हैम्प की खेती करने तथा उससे उपजा / उप–उत्पादों एकल रूप से उत्तरदायी होगा (यदि आवेदक व्यक्तिक है तो लागू होगा)

स्थान..

हस्ताक्षर...

नाम...

पता...

तारीख..

मोबाइल नम्बर..

प्ररूप सीएच–एमसी–3

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस (भांग) के भाण्डागारण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला नाम...............................

सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए

श्रीमान / श्रीमती,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक हैम्प के गोदाम के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम...
2. पिता का नाम..
3. पता...
4. गोदाम के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है..
5. खसरा एव खतौनी संख्या...
6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र..
7. ....रूपये का अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख) और हिम एवं संख्या
8. खेतीहर के अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया)..
......

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अनियोजित किया गया हो नही उसके विरूद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज / उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान...

हस्ताक्षर...

नाम...

पता...

तारीख..

मोबाइल नम्बर..

आदेश द्वारा,
सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Order No. EXN-F-(10)-8/2021-Vol-II, Dated 20th August, 2026 as required under article 348 (3), of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of State Taxes and Excise

File No. EXN-F-(10)-8/2021-Vol-I I Shimla-02, the 20th August, 2026.

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985(No 61 of 1985), the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following Order to amend the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026, notified vide this Department's order no. EXN-F(10)-8/2021-Vol-I dated 22.07.2026 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 28th of July, 2026 namely:-

1. **Short title, extent and commencement-(1)** This Order may be called the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Order, 2026.

   (2) This Order shall come into force from the date of its publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and shall extend to the whole State of Himachal Pradesh.

2. **Amendment of clause 2**:- In clause 2 of Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026(hereinafter referred to as said order) .- for sub clause 1(g), following shall be substituted:-

   " Nodal Officer" means any officer of the Department of Agriculture not below the rank of Agriculture Development Officer (ADO) of the concerned Block notified by the Department of Agriculture."

3. **Amendment of clause 3:-** In clause 3 of the said Order,-

   (a) in sub clause (1), for item (a)(i), following shall be substituted, namely:-

   "(a)(i) for cultivation of cannabis for medical & scientific purpose or cannabis for industrial purpose, the seeds shall be procured by the licensed entity for cultivation including Manufacturing unit licensed for cultivation, and entity licensed for research and analytical testing, from authorized seed

supplier who shall arrange the seeds locally (indigenously) or within the State or from other States or import seeds from outside India, subject to the fulfillment of the condition that the seeds imported from other States and the seeds procured within the State (including local/indigenous seeds) or seeds imported from outside India, the authorized seed supplier at the time of supply of seeds to the entity licensed for cultivation of Cannabis (license in form CC-2, CH-2, CC-MC-2, CH-MC-2, CC-R and CH-R) shall provide the following certificates/documents to the purchaser.

(ii) In case seeds arranged locally (indigenously) or within the State or from other States, the authorized seed supplier shall provide documents pertaining to the purchase of the seeds including a certificate of analysis issued from NABL lab or any other Government authorized lab specifying the strength and concentration of cannabinoids (including type of seed (Cannabis), Feminized or otherwise), range of cannabinoid profiles, including variable levels of THC and CBD.

(A) In case of import of seeds from outside India, the authorized seed supplier shall provide documents pertaining to the import of the seeds including seed analysis report/certificate issued from the authorized Laboratory (NABL or any other Government authorized laboratory) specifying the strength and concentration of cannabinoids (including type of seed (Cannabis), Feminized or otherwise), range of connabinoid profiles, including variable levels of THC and CBD and Phytosanitary certificate verified by National Plant Protection Organization of exporting country or any other certificates as prescribed by Government of India from time to time.

(B) The Cultivator Licensee shall furnish to the Nodal Officer of the Department of Agriculture, atleast 21 days prior to the cultivation of those seeds, documents pertaining to the purchase of the seeds as provided by the concerned authorized seed supplier, including the aforementioned certificates/seed analysis report (as applicable).

(iii) For industrial use of indigenous seed or seed imported from other State or seed imported from outside India, feminized seeds or otherwise or combination of both can be used."

(b) **in sub clause (1),** second proviso of item (b), for the word, "The Authorized Seed Supplier will ensure that the seeds imported locally or within State or within Country are clearly classified, segregated and stored separately based on seed type i.e. Industrial or medical or feminized or otherwise etc." the words "the Authorized Seed Supplier will ensure that the seeds imported locally or within State or within Country or seed imported from outside India are clearly classified, segregated and stored separately based on seed type i.e. Industrial or medical or feminized or otherwise etc." shall be substituted.

(c) **In sub clause 2, in item (a),-**

(i) for the words "The area/ areas for cultivation of cannabis for industrial purpose shall be notified by the Agriculture Department", the words the area/areas for cultivation of cannabis for industrial purposes shall be the area of entire State of Himachal Pradesh."

(ii) for the words **"**Any person intending to obtain license for cultivation under this Order in the notified areas may apply to the concerned District Nodal Officer in Form CH-1 for cultivation of cannabis plant for industrial purposes on payment of License fee as specified in Schedule-I who shall further forward the application alongwith recommendations to the District Excise Officer who shall further forward the same to Collector (Excise) concerned alongwith recommendations", the words "any person intending to obtain license for cultivation under this order in the State of Himachal Pradesh, may apply to the concerned Nodal Officer of the Agriculture Department in form CH-1 for cultivation of cannabis plant for industrial purposes on payment of License fee as specified in Schedule-I who shall further forward the application along with recommendations to the District

Excise Officer who shall further forward the same to Collector (Excise) concerned along with recommendation" shall be substituted.

(iii) **In sub clause (2), in item (a)(i),** for the words, "three acres" the words "five bighas" shall be substituted.

(iv) **Sub clause 2(a)(vi)** shall be omitted.

4. Amendment of clause 4:- In clause 4 of the said Order ;

(a) in sub clause 1, in item (j), for the words "Minimum capital investment required for setting up of manufacturing unit in the State shall be Rs. 100 Crore" the words "Minimum capital investment required for setting up of manufacturing unit in the State shall be Rs. 5 Crore" shall be substituted.

(b) in sub clause 2,-

(i) **for the words, "**The area/ areas for cultivation of cannabis for industrial purpose shall be notified by the Agriculture Department. This area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. Any applicant having license in form CH-M intending to obtain license for cultivation under these orders in the notified areas may apply to the concerned District Nodal Officer in Form CH-MC-1 for cultivation of cannabis for industrial purpose who shall further forward the application alongwith recommendations to the District Excise Officer who shall further forward the application to Collector(Excise) concerned alongwith recommendations.", the words "the area/areas for cultivation of cannabis for industrial purposes shall be the area of entire State of Himachal Pradesh. This area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. Any applicant having license in form CH-M intending to obtain license for cultivation under these orders in the State of Himachal Pradesh, may apply to the concerned Nodal Officer in Form CH-MC-1 for cultivation of cannabis for industrial purpose who shall further forward the application along with recommendations to the District

Excise Officer who shall further forward the application to Collector (Excise) concerned along with recommendation." shall be substituted;

(ii) **In item (a),** for the words, "three acres" the words "five bighas" shall be substituted.

5. Amendment of clause 11:- In clause 11 of the said order ;

(a) in sub clause 1, for the words "Any individual or institution or Government department or private establishments or the licensee who has been granted license in Form CH-M for the processing or manufacturing of cannabis plant for industrial purposes products may apply for license in Form CH-6 for research and analytical testing, to the Commissioner of State Taxes and Excise through concerned Collector (Excise)" the words "Any individual or institution or Government department or private establishments or the licensee who has been granted license in Form CH-M for the processing or manufacturing of cannabis plant for industrial purposes products may apply for license in Form CH-6 for research and analytical testing , to the concerned District Excise Officer who shall forward the application along with recommendations to the concerned collector who shall further forward the application along with recommendation to the Commissioner of State Taxes and Excise" shall be substituted.

(b) **in sub clause 1, in item (d), following shall be substituted, namely:-** "(d) The area/areas for cultivation of cannabis plant for industrial purposes for research and analytical testing shall be the area of entire State of Himachal Pradesh. The area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. The cultivation of cannabis shall be strictly in the licensed premises only."

6. Amendment of schedule-I:- In schedule-I.-

(a) at sr. 1, in column no. 3, for the figures "2000" the figures, "500" shall be substituted.

(b) At sr. 3, in column no. 3, in Row 1 & 2, for the figures "10,00,000" the figures "Rs. 5,00,000" shall be substituted.

7. **Amendment of Form:- In forms CH-1, CH-3,CH-MC-1 & CH-MC-3, appended to this order,** for the words District Nodal Officer of the Department of Agriculture of concerned District" the words "Nodal Officer of the Department of Agriculture" shall be substituted.

"Schedule –I"

Sr No	Type of license	Fees
1.	CH-2 (cultivators license) for cannabis plants (excluding charas & ganja) for industrial purposes	Rs.500/- per bigha
	Renewal Fees for cultivator License for cannabis plant for industrial purposes	Rs.500/- per bigha
2.	CH-4 (license for warehousing of cannabis plants (excluding charas & ganja) for industrial purposes	Rs 10,000/-
3.	**CH-M (Manufacturing License)** i.e. annual License for Processing/ Manufacturing of cannabis plant for industrial purposes **(excluding charas & ganja)**	Rs.5,00,000/-
	Renewal	Rs.5,00,000/-
	CH-MC-2 (Manufacturer Cultivation License) i.e. annual license for cannabis plant for industrial purposes cultivation (excluding charas & ganja) for industrial Purposes	Rs.10,00,000/- per bigha
	Renewal	Rs.10,00,000/- per bigha
	CC-MHC-4 (License for warehousing of Cannabis plant for industrial purposes **(excluding charas & ganja)**)	Rs.10,000/-
4.	CH-R (license for research and analytical testing of cannabis plant for industrial purposes) (excluding charas & ganja)	Rs 1,00,000/-
5.	CH-T (Transport permit for harvested cannabis plant for industrial purposes)	Rs 2000/-

Form CH-1

Application for license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

To

The Nodal Officer,

Department of Agriculture

District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order,2026.

1. Name of Applicant…………………………………………..
2. Father's name………………………………………………..
3. Address …………………………………………………...
4. Detail of land on which cannabis plant for industrial purposesis to be cultivated …………..
5. Khasra and Khatauni No……………………………………..
6. Area of land alongwith GPS Coordinates…………………..
7. Detail of warehouse…………………………………………
8. Detail of license fee of Rs …………………/- (Tr No, date and HIMGRN No)……………………………………………
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Act, 1985 and the Orders issued thereunder.

Signature………………………

Place…………………. Name ….………..………………………….

Address…………………………………..
…………………………………………….

Date………………… Mobile No…………...................................

Form CH- 3

Application for license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order 2026.

To

The Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order,2026.

1. Name of Applicant…………………………………………..
2. Father's name………………………………………………..
3. Address ……………………………………………………...
4. Detail of warehouse in which cannabis plant for industrial purposes is to be stored …………..
5. Khasra and Khatauni No……………………………………..
6. Area of land alongwith GPS Coordinates…………………..
7. Detail of license fee of Rs …………………/- (Tr No, date and HIMGRN No)……………………………………………
8. Detail of cultivator license (License No and Date on which issued)……………………..

Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any cases is pending against him in any Court of Law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985,rules and Order issued thereunder.

Signature………………………

Place…………………. Name ….……..………………………….

Address…………………………………..
…………………………………………….

Date………………… Mobile No…………..................................

Form CH-MC-1

Application for license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order,2026.

To

The Nodal Officer,

Department of Agriculture

District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

1. Name of Applicant………………………………………..
2. Father's name……………………………………………..
3. Address …………………………………………………...
4. Detail of land on which cannabis plant for industrial purposes is to be cultivated …………..
5. Khasra and Khatauni No……………………………………..
6. Area of land alongwith GPS Coordinates…………………..
7. Detail of warehouse…………………………………………
8. Detail of license fee of Rs …………………/- (Tr No, date and HIMGRN No)…………………………………………….
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Act, 1985 and the Orders issued thereunder.

Signature………………………

Place………………….

Name ….……….………………………….

Address…………………………………..
…………………………………………….

Date…………………

Mobile No…………..................................

Form CH-MC-3

Application for license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order 2026.

To

The Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order,2026.

1. Name of Applicant…………………………………………..
2. Father's name………………………………………………..
3. Address …………………………………………………...
4. Detail of warehouse in which cannabis plant for industrial purposes is to be stored …………..
5. Khasra and Khatauni No……………………………………..
6. Area of land alongwith GPS Coordinates…………………..
7. Detail of license fee of Rs …………………/- (Tr No, date and HIMGRN No)…………………………………………….
8. Detail of cultivator license (License No and Date on which issued)……………………..

Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any cases is pending against him in any Court of Law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985,rules and Order issued thereunder.

Signature………………………

Place…………………. Name ….………..……………………….

Address…………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

Date………………… Mobile No………….................................

By Order
Secretary (State Taxes and Excise) to the
Government of Himachal Pradesh.